

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 683 सन 2020

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. विकास कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विनोद पुत्री बृजलाल पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी कणाउ तहसील भादरा
4. सविता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
5. अनिता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी अनील जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मीरा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/12/2020


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 82/82 की कुल 3.2890हैक एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 14/15 की कुल 2.7830हैक व रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.0360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बृजलाल व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र अमीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बृजलाल पुत्र अमीलाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बृजलाल पुत्र अमीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है एवं एक खाते में बृजलाल के नाम से दर्ज है बृजलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बृजलाल पुत्र अमीलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 82/82 की कुल 3.2890 हैक एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 14/15 की कुल 2.7830 हैक व रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.0360 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बृजलाल व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बृजलाल पुत्र अमीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बृजलाल पुत्र अमीलाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बृजलाल पुत्र अमीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है एवं एक खाते में बृजलाल के नाम से दर्ज है बृजलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपजुड अधिकारी  
बोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 82/82 की कुल 3.2890 हैक् एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 14/15 की कुल 2.7830 हैक् व रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.0360 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वृजलाल व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है।

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वृजलाल पुत्र अमीलाल व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा वृजलाल पुत्र अमीलाल के नाम से दर्ज थी वादी के दादा वृजलाल पुत्र अमीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्या होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 82/82 की कुल 3.2890 हैक् जो मृतक वृजलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1, 2 बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 14/15 की कुल 2.7830 हैक् व रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.0360 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हक हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. विकास कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र वृजलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र वृजलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विनोद पुत्री वृजलाल पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी कणाउ तहसील भादरा
4. सविता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
5. अनिता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी अनील जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मीरा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 683 सन 2020 निर्णय दिनांक- 30/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 82/82 की कुल 3.2890 हैक् जो मृतक वृजलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1, 2 बहिब 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 14/15 की कुल 2.7830 हैक् व रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 9/9 की कुल 3.0360 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हक हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )